संख्या: 3270 / 1–10–2008–14(23) / 2004

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ दिनांक 04 जुलाई, 2008

विषय: वित्तीय वर्ष 2008–09 में आपदा राहत कार्यो हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2818 / 1–10–2005–14(14) / 2005 दिनांक 19.9.2005 द्वारा पी0ए0सी0 हेतु 132 अदद ओ0बी0एम0 इंजन तथा पी0ए0सी0 हेतु 41 एवं राजस्व विभाग हेतु 13 नई मोटरबोट कय हेतु रू0 4,14,00,000 / –तथा शासनादेश संख्या–3080 / 1–10–2005– 14(14) / 2005 दिनांक 25.10.2005 द्वारा राजस्व विभाग हेतु 12 नई मोटरबोट कय करने हेतु रू0 48,00,000 / –की धनराशि स्वीकृत की गयी। गृह विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त स्वीकृत धनराशि से पूर्व अनुमोदित 66 अदद मोटरबोट में से मात्र 33 अदद मोटरबोट की आपूर्ति ही संभव है। गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त सहमति " यदि भारत सरकार अनुमति नही देगा तो वित्त विभाग की सहमति से गृह विभाग अपने बजट से सामग्री व नियमानुसार कय की कार्यवाही करेगा तथा तदनुसार पुलिस विभाग को निर्देशित किया जायेगा। " उक्त के कम में शेष 33 अदद मोटरबोट की आपूर्ति हेतु श्री राज्यपाल महोदय रू0 2,07,54,195 / –(रूपये दो करोड़ सात लाख चौवन हजार एक सौ पन्चानब्बे मात्र) की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि से पूर्व में स्वीकृत धनराशि का समायोजन एवं संतुष्टि उपरान्त ही उक्त आवंटित धनराशि में से अवशेष धनराशि आहरित की जाय। उक्त धनराशि जिस प्रयोजन के लिए आवंटित की जा रही है, इस हेतु ही धनराशि का

उपयोग किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सामग्री विलम्बतम 03 माह में क्रय कराना सुनिश्चित करेगें।

4 आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायगा कि विभिन्न सामग्रियों की जो दरें लगायी जाय उससे कम दर पर वह सामग्री बाजार में उपलब्ध न हो, अर्थात् न्यूनतम दरें रखी जाय तथा स्टोर परचेज रूल्स के नियमों, उसमें निर्धारित प्रक्रिया तथा सम्बन्धित विभागों से निर्गत तद्विषयक शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

5. आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि के व्यय के आकड़ों का पुस्तांकन (बुकिंग) महालेखाकार कार्यालय के सत्यापन प्रमाण पत्र एवं निम्नांकित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित राजस्व अनुभाग–10 को दिनांक 20 दिसम्बर, 2008 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय–

(क) व्यय का विवरण :–

क्र0सं0	उपकरण का नाम	क्षमता	प्रत्येक उपकरण की पहचान संख्या	मूल्य	गारन्टी अवधि	जीवन अवधि

(ख) आपदा राहत निधि के पक्ष में अवशेष धनराशि रू0.......................... बैंक ड्राफ्ट संख्या.......................................दिनांक.............................भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ पर भुगतान हेतु वापस किया जा रहा है।

दिनांक मुहरयुक्त हस्ताक्षर

6. आपदा राहत निधि से जो नये उपकरण क्रय किय जाय उनके पूर्ण विवरण की एक पंजिका पी0ए0सी0 मुख्यालय पर रखी जाय, जिसमें आपदा राहत निधि से प्राप्त धनराशि का मदवार उल्लेख किया जाय।

भवदीय,

(जी0के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : 3270 (1)/1–10–2008–14(23)/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार लेखा प्रथम/आडिट उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिरीक्षक, पी0ए0सी0, मुख्यालय,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग 6/11/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव

E/Manoj/Allot.08